



# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (मास्त)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-309/कु०स०का०/सि०वि०वि०/2026,

दिनांक- 16-06-2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

**विषय-** वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1/1362307/2026/70-4099/40/2024 दिनांक 12-06-2026 के द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-810/35-4-2026/35-4099/37/2026, दिनांक 14-05-2026 एवं तत्सम्बन्धित दिशा-निर्देशों में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के संदर्भ में संलग्न पत्र के अनुसार नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

16/06/26

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

lat

पत्रांक- /तददिनांकित।

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, कुलपति मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

संख्या-I/1362307/2026/70-4099/40/2024

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2-कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 12-06-2026

विषय:-वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-810/35-4-2026/35-4099/37/2026, दिनांक 14.05.2026 एवं तत्संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.05.2026 एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देशों में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

Digitally signed by  
RAM JANAM CHAUHAN

Date: 12-06-2026

13:34:38

भवदीय,

(राम जन्म चौहान)

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियोजन अनुभाग-4

सख्या-810/35-4-2026/35-4099/37/2026

लखनऊ, दिनांक 14 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक लाए जाने हेतु नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-482/35-4-2025 दिनांक 02.05.2025 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ओ०टी०डी० सेल (District OTD Cell) का गठन किया गया है। जिला ओ०टी०डी० सेल की कार्यक्षमता, आर्थिक एवं डेटा विश्लेषण क्षमता को सुदृढ किए जाने के उद्देश्य से वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 01 ओ०टी०डी० फेलो (आर्थिक विकास) एवं 01 ओ०टी०डी० फेलो (डेटा विश्लेषक) को आबद्ध किये जाने तथा इनका चयन स्टेट ट्रान्सफॉर्मेशन कमीशन द्वारा किए जाने हेतु मा० मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2- वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ओ०टी०डी० फेलोज के कार्य दायित्व, पारिश्रमिक, पात्रता, चयन प्रक्रिया इत्यादि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही विस्तृत दिशा-निर्देश (संलग्न) के अनुसार संपादित की जायेगी।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally signed by

ALOK KUMAR

Date: 12-05-2026

13:08:24  
(अलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-810(1)/35-4-2026/35-4099/37/2026 एवं दिनांक:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० (असत नियोजन शासन)
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी विभिन्न विध्यालयों/संस्थानों को सूचित करने का कष्ट करें।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियोजन/स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

3740/S(AI)12

J.S.  
कृपा VC, Director of Planning & Research

19.05.26

**नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या: 810/35-4-2025/35-  
4099/37/2026 का संलग्नक**

**वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम (OTD सी एम फेलो) के विस्तृत दिशा-**

**निर्देश**

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक लाये जाने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश संवर्धन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, विशेष निवेश क्षेत्रों की स्थापना, विनिर्माण, आईटी, स्टार्टअप और कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। जनपदों की आर्थिक स्थिति के संज्ञान हेतु जनपदवार जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार कर DDP (District Domestic Product) पुस्तिका के रूप में समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं। इन अनुमानों को तैयार किये जाने में प्रयुक्त आंकड़ें जनपद स्तर पर परीक्षण कर सम्बंधित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रदेश स्तर पर लिए गए नीति विषयक निर्णयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रदेश स्तर पर लिए गए नीति विषयक निर्णयों से जनपद स्तरीय अधिकारी भी संज्ञानित रहें तथा प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाये। तदनुसार जनपदस्तर पर वन ट्रिलियन डॉलर योजना के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों की नियमित समीक्षा तथा राज्य स्तर अथवा भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 482/35-4-2025 दिनांक 02-05-2025 के माध्यम से प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **जिला OTD सेल (District OTD Cell)** का गठन किया गया है।

जिला OTD सेल का उद्देश्य जनपद स्तर पर योजनाओं का समन्वय, निगरानी व प्रगति सुनिश्चित करना, जनपद स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों व जनपद स्तर पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधितों को अवगत कराना है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनपद का योगदान बढ़ाये जाने हेतु तथा जनपद स्तर पर विभागवार विशिष्ट प्रयास किये जाने हेतु जनपदों को DDP (District Domestic Product) टूल बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है जिसके अंतर्गत जनपद स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाये जाने हेतु विभागवार रणनीतिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराये गए हैं।

जिला OTD सेल की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ किये जाने एवं उनकी आर्थिक विश्लेषण एवं डेटा विश्लेषण की क्षमता बढ़ाए जाने के दृष्टिगत प्रत्येक जिला OTD सेल में **वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम** के अंतर्गत 01 OTD Fellow (आर्थिक विकास) एवं 01 OTD Fellow (डेटा विश्लेषक) को **OTD सी एम फेलो** के रूप में आबद्ध किया जाना है जिससे जिला स्तर पर **वन ट्रिलियन डॉलर** योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

OTD सी एम फेलो द्वारा जनपद स्तर पर वन ट्रिलियन डॉलर योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर जिला OTD सेल की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा आंकड़ों का विश्लेषण कर सेल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। उक्त हेतु नियोजन विभाग द्वारा एक Dedicated डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा जिस पर फेलो द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कार्य किया जाएगा। फेलो द्वारा जनपद के आर्थिक विकास से सम्बंधित गतिविधियों का चिन्हीकरण कर उनका विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयासों को OTD सेल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जिससे जनपद स्तर पर स्थानीय संसाधनों, संभावनाओं एवं निवेश अवसरों का विश्लेषण कर साक्ष्य-आधारित विकास रणनीतियाँ

तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी तथा विभिन्न अंतर्निहित विभागीय योजनाओं की बेहतर प्राथमिकता निर्धारण एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। जनपद स्तर पर योजनाओं से संबंधित आँकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा विभिन्न सम्बन्धित KPI's (Key Performance Indicators) के आधार पर मूल्यांकन कार्य में OTD सी एम फेलो की महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी जिसके परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं तथ्यपरक बनेगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होगा तथा जिले के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

## 2. पात्रता

कार्यक्रम में आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की अनिवार्य पात्रता निम्नवत होगी:-

### (क) OTD Fellow (आर्थिक विकास) हेतु:-

विधि द्वारा स्थापित संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों (समतुल्य CGPA) के साथ Economics/Applied Economics/Econometrics/Public Policy/Developmental Studies में परास्नातक उपाधि अथवा MBA अथवा B.Tech./B.E. अथवा Chartered Accountancy (Full time degree)।

### (ख) OTD Fellow (डेटा विश्लेषक) हेतु:-

विधि द्वारा स्थापित संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों (समतुल्य CGPA) के साथ Statistics/Applied Statistics/Econometrics/Data Science/Operation Research/ Developmental Studies में परास्नातक उपाधि अथवा MCA अथवा MBA अथवा B.Tech./B.E. अथवा Chartered Accountancy (Full time degree)।

- हिन्दी (देवनागरी लिपि) भाषा बोलने एवं लिखने में कुशलता।

उपर्युक्त के साथ ही निम्नलिखित अधिमानी अहर्तायें होंगी (सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा):-

- i. अनिवार्य अहर्ता की उपाधि में निर्धारित प्रतिशत।
- ii. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में शोध पत्र प्रकाशन/नीति पत्रों का प्रकाशन।
- iii. प्रासंगिक कार्य अनुभव, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।
- iv. फील्ड वर्क में कार्य करने हेतु सहमति।

## 3. आयु सीमा

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## 4. भूमिका एवं उत्तर दायित्व

OTD CM Fellow का मुख्य दायित्व जनपद में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्लेषणात्मक, नीतिगत और समन्वयात्मक सहायता प्रदान करना है। उनका कार्य जिला घरेलू

उत्पाद से जुड़े संकेतकों की प्रगति की समीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन, नीति-निर्माण में सहयोग, परियोजना प्रबंधन तथा विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित होगा। OTD CM Fellow विभागों, उद्योग संगठनों, विशेषज्ञों और फील्ड इकाइयों के साथ नियमित संवाद करते हुए विकास के अवसरों, चुनौतियों और निवेश संभावनाओं की पहचान करेंगे। OTD CM Fellow जनपद स्तर पर वरिष्ठ नेतृत्व हेतु उच्च-गुणवत्ता वाले नीति-नोट, संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ और विश्लेषण तैयार करेंगे, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया अधिक साक्ष्य-आधारित और परिणाम-उन्मुख बनेगी। Fellow द्वारा वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था योजना के प्रमुख पहलों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने में जिला OTD सेल को सहयोग प्रदान किया जायेगा। उक्त के साथ ही, OTD CM Fellow हितधारक परामर्श, कार्यशालाओं और बैठकों के आयोजन, संचालन और दस्तावेजीकरण का कार्य भी करेंगे।

OTD CM Fellow की भूमिका मुख्य रूप से डेटा के संग्रह, सत्यापन और विश्लेषण पर केंद्रित होगी, जिससे वरिष्ठ नेतृत्व को विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी उपलब्ध होगी। OTD Fellow विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा की Cleaning, प्रोसेसिंग तथा विश्लेषण करते हुए रुझानों और Performance Indicators की पहचान करेंगे तथा सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करेंगे। भविष्य में, OTD CM Fellow द्वारा उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों, AI-आधारित प्रोसेसिंग और रियल-टाइम डैशबोर्ड विकसित करने की दिशा में कार्य किया जायेगा, जिससे जिला-स्तर पर डेटा-आधारित Decision Making और अधिक सुदृढ़ हो सके।

## 5. कार्य की रिपोर्टिंग

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें OTD सी एम फेलो द्वारा वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर आर्थिक विकास से सम्बन्धित की गयी विभिन्न गतिविधियों/Activities का उल्लेख किया जायेगा।
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग द्वारा की जायेगी।
3. वार्षिक रिपोर्ट तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, जिसके आधार पर OTD सी एम फेलो द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनके कार्यकाल का नवीनीकरण किया जायेगा।
4. संग्रहित डेटा का संकलन एवं विश्लेषण रिपोर्ट सहित प्रस्तुत किये जायेगे।

## 6. पारिश्रमिक व अन्य भत्ते/ लाभ

- वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित OTD सी एम फेलो को पारिश्रमिक के रूप में ₹ 50,000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। उक्त के साथ ही प्रत्येक फेलो को ₹ 40000/- तक के मूल्य का लैपटॉप नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फेलो द्वारा 03 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर विभाग की संतुष्टि पर उक्त लैपटॉप उसे प्रदान किया जायेगा।

### • यात्रा भत्ता

नियोजन विभाग द्वारा फेलो हेतु यथासमय आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ समीक्षा बैठकों/वर्कशॉप इत्यादि में प्रतिभाग करने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

## • आवासीय सुविधा

कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित फेलो को जनपद स्तर पर यथासंभव निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जनपद स्तर पर निःशुल्क आवासीय सुविधा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में OTD सी एम फेलो को रु० 10,000/- प्रतिमाह की दर से आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

## • शासकीय सेवाओं में वेटेज तथा आयु में रिलैक्सेशन

वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत OTD सी एम फेलो को कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शासकीय सेवाओं में वेटेज तथा आयु में शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा।

## 7. सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन:

वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित OTD सी एम फेलो की सम्बद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति, विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। विस्तारित फेलोशिप अवधि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

## 8. अवकाश:

आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है।

## 9. चयन की प्रक्रिया

OTD सीएम फेलो के चयन की पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन द्वारा किया जायेगा। चयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के परीक्षण के सामान्य नियम व शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरांत निरस्त कर दिया जायेगा।
2. Duplicacy नियंत्रण: 01 ईमेल आईडी, फोन नम्बर, 01 नाम तथा 01 आधार संख्या से केवल एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा।

चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित 02 चरणों में पूर्ण की जाएगी:-

### चरण-1:-लिखित परीक्षा (कुल 50 अंक)

OTD सीएम फेलो के चयन हेतु सम्बन्धित विषयानुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसके कुल अंक 50 निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के अंतर्गत विषयवार अंको का निर्धारण (Area wise Weightage) निम्नवत होगा:-

Sr. No.	Area	Weightage %	Marks Division
1.	General Knowledge	10	5
2.	General Aptitude (Verbal/Logical Reasoning, Comprehension) /Quantitative Reading	10	5
3.	Economics	30	15
4.	Statistics	30	15
5.	Technical Skills (knowledge of R, Python, Stata, MS-Excel)	20	10

कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानी अहर्ता (Preferential Eligibility) हेतु निर्धारित 30 अंकों में से निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे:

**अधिमानी अहर्ता: अधिकतम अंक-30**

क्र० सं०	विवरण	अधिकतम अंक
A	शैक्षिक योग्यता: सम्बन्धित विषयों में परास्नातक अथवा MBA अथवा B.Tech	15
	प्राप्तांक 75% से अधिक अथवा समतुल्य CGPA	15
	प्राप्तांक 75% व उससे कम परन्तु 65% से अधिक अथवा समतुल्य CGPA	10
	प्राप्तांक 65 प्रतिशत व उससे कम अथवा समतुल्य CGPA	7
B.	प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में शोध पत्र प्रकाशन/नीति पत्रों का प्रकाशन (Listed in SCI/ESCI/ Scopus/ Elsevier/ Springer/UGC Care list)	8
	3 or More Publications	8
	2 Publications	5
	1 Publication	2
C.	प्रासंगिक कार्य अनुभव	7
	02 वर्ष से अधिक	7
	06 माह से 02 वर्ष	3

**चरण-2:- व्यक्तिगत साक्षात्कार: 20 अंक (15 + 5)**

लिखित परीक्षा तथा अधिमानी अहर्ता के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु Shortlist किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, समय-समय पर कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन निर्धारित 15 अंकों में से किया जायेगा। उक्त अंक अतिरिक्त अभ्यर्थी की Problem Solving Ability/ Decision making/ Analytical thinking इत्यादि का Assessment निर्धारित 05 अंकों में साक्षात्कार के दौरान ही किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन मूल दस्तावेजों के आधार पर साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा,

अधिमानी अहर्ता व साक्षात्कार में निर्धारित कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर Combined मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए 150 चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 50 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

#### 10. प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह का प्रशिक्षण नियोजन विभाग द्वारा कराया जायेगा। प्रत्येक 06 माह पर OTD Fellow हेतु Refresher Training आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान योजना का सामान्य परिचय एवं कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कोर्स की विषय-वस्तु निर्धारित की जायेगी।

#### 11. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

- वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है और चयनित फेलो कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य पूर्णकालिक रोजगार/असाइनमेंट आदि करने के लिए अनुमत्य नहीं होंगे।
- फेलोशिप कार्यक्रम का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उक्त कार्यकाल के आधार पर स्थायी सेवा/रोजगार का अधिकार अनुमत्य नहीं होगा।
- प्रत्येक चयनित फेलो के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस अधिकारी के अन्य कर्मचारियों के लिए है जिसके साथ उसे सम्बद्ध किया गया है।
- फेलो द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
- फेलो ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शोधार्थी के चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- फेलोशिप की अवधि में फेलो को अपने तैनाती स्थान पर रहना होगा।
- फेलो को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 01 सप्ताह में नियुक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- फेलोशिप की अवधि के दौरान फेलो को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- जनपद स्तर पर तैनाती पर फेलो को क्षेत्र भ्रमण करना पड़ सकता है।
- नियोजन विभाग द्वारा फेलो हेतु समय-समय पर लखनऊ अथवा अन्यत्र आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/समीक्षा बैठकों/वर्कशॉप में फेलो द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

#### 12. प्रबंधन:

फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबंधन नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा जिस हेतु यथा समय आवश्यकता के आधार पर मैनपावर इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।

Digitally signed by

ANIL KUMAR SINGH (अनिल कुमार सिंह)

Date: 13-05-2026 विशेष सचिव

17:05:59